

भारत सरकार  
रक्षा मंत्रालय  
रक्षा उत्पादन विभाग  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 495  
20 नवंबर, 2019 को उत्तर के लिए

रक्षा निर्यात

495. श्री वी.के. श्रीकंदन:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या वर्ष 2024 तक भारत का रक्षा निर्यात तीन गुना बढ़कर रु. 35,000 करोड़ हो जाने की संभावना है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार नौकरशाही की रुकावटों को कम करने और प्रक्रिया को सरल करके स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख): रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई सुधार किए गए / कदम उठाए गए हैं । हाल के समय में, इन सुधारों से रक्षा निर्यात को काफी बढ़ावा मिला है । गत दो वर्षों में देश में रक्षा निर्यात के लिए प्राधिकार में सात गुना वृद्धि हुई है । रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम अनुबंध-1 पर संलग्न हैं ।

(ग) और (घ): अनुबंध- ॥ के अनुसार ।

लोक सभा में दिनांक 20 नवम्बर, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 495 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

**घरेलू रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने हेतु किए गए उपाय**

- (i) "आयुध सूची" शीर्षक विशेष रसायन, अवयव, सामग्री, उपस्कर एवं प्रौद्योगिकी (एससीओएमईटी) श्रेणी 6 जो अब तक "आरक्षित" थी, को प्रकाशित किया गया है और दिनांक 13 मार्च, 2015 की अधिसूचना सं. 115(आरई-2013)/2009-2014 के अंतर्गत अधिसूचित सैन्य स्टोर्स सूची निरस्त हो गई है।
- (ii) महानिदेशक, विदेश व्यापार (डीजीएफटी) ने दिनांक 24 अप्रैल, 2017 की सार्वजनिक सूचना सं. 4/2015-20 के द्वारा रक्षा उत्पादन विभाग (डीडीपी) को एससीओएमईटी की श्रेणी 6 में निर्यात मर्दों के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकार के रूप में अधिसूचित किया। श्रेणी 6 (आयुध सूची) में विनिर्दिष्ट मर्दों का निर्यात, एससीओएमईटी की वस्तु शिनाख्त नोट (सीआईएन) के नोट 2 एवं 3 के अंतर्गत आने वाली मर्दों को छोड़कर, अब रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी मानक प्रचालन प्रक्रिया के द्वारा नियंत्रित है।
- (iii) आयुध सूची की मर्दों के निर्यात के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) में संशोधन किया गया है और इसे रक्षा उत्पादन विभाग की वेबसाइट पर डाला गया है।
- (iv) प्राधिकार अनुमति प्राप्त करने और इसकी प्रोसेसिंग करने के लिए एक पूर्ण एण्ड-टू-एण्ड ऑनलाइन पोर्टल का विकास किया गया है। इस पोर्टल पर प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदनों पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जाते हैं और जारी प्राधिकार पर भी डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जाते हैं।
- (v) समान कम्पनी को समान उत्पाद के पुनरादेश में परामर्श प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है और शीघ्र ही अनुमति जारी कर दी जाती है। विभिन्न कंपनियों को समान उत्पाद पुनरादेश के लिए सभी पणधारियों के साथ पूर्व में किया जाने वाला परामर्श अब केवल विदेश मंत्रालय तक ही सीमित है।
- (vi) अन्तर-कम्पनी व्यापार में (जो रक्षा से संबंधित मूल विदेशी कम्पनी की भारत में सहायक कम्पनी द्वारा ऑउटसोर्सिंग के कार्य के लिए विशेष रूप से सुसंगत है), आयात करने

वाले देश की सरकार से अंतिम प्रयोक्ता प्रमाण-पत्र (ईयूसी) की पूर्ण की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है और 'खरीदने वाली' कम्पनी ईयूसी जारी करने के लिए प्राधिकृत है ।

(vii) सिविल प्रयोग के लिए लघु शस्त्रों एवं बॉडी आर्मर के कलपुर्जों एवं संघटकों के विधिमान्य निर्यात की अब विदेश मंत्रालय के साथ परामर्श से पहले अनुमति दी जा रही है ।

(viii) प्रदर्शनी प्रयोजनार्थ मर्दों के निर्यात के लिए पणधारियों के साथ परामर्श की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है (चयनित देशों को छोड़कर) ।

(ix) निर्यात के अवसरों की तलाश करने और वैश्विक निविदाओं में भागीदारी के लिए डीआरडीओ, डीजीओएफ और डीपीएसयू के सीएमडी को शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं ।

(x) कलपुर्जों एवं संघटकों के लिए एसओपी में नए अंतिम प्रयोक्ता प्रमाण-पत्र का प्रावधान किया गया है ।

(xi) निर्यात प्राधिकार में आदेश/संघटक के पूर्ण होने में जो भी बाध में हो, की तारीख से 02 वर्षों के लिए वृद्धि की गई है ।

(xii) वारंटी बाध्यता के अन्तर्गत एक संघटक के लिए पुनर्स्थापन प्रदान करने हेतु मरम्मत अथवा रिर्वक किए जाने हेतु कलपुर्जों एवं संघटकों के पुनः आयात के लिए एसओपी में पुनरादेश के उपवर्गीकरण के रूप में एक नया प्रावधान शामिल किया गया है ।

(xiii) गृह मंत्रालय ने दिनांक 01.11.2018 की अधिसूचना के तहत लघु शस्त्रों के कलपुर्जों एवं संघटकों के लिए फॉर्म x-क में शस्त्र नियम के अन्तर्गत निर्यात लाइसेंस जारी करने के लिए इस विभाग को शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं । इसके साथ रक्षा उत्पादन विभाग लघु शस्त्रों एवं गोलाबारूद के कलपुर्जों एवं संघटकों के निर्यात के लिए निर्यातक हेतु सम्पर्क का एकल बिन्दु बन गया है ।

(xiv) सरकार ने ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस (ओजीईएल) - एक बारगी निर्यात लाइसेंस को अधिसूचित किया है जिसमें उद्योग को ओजीईएल की वैद्यता के दौरान निर्यात प्राधिकार प्राप्त किए बगैर ओजीईएल में उल्लिखित विशिष्ट स्थानों तक विशिष्ट मर्दों का निर्यात करने की अनुमति है ।

(xv) भावी निर्यातकों को सरकार द्वारा अपने उत्पाद का प्रमाणन प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध कराने के लिए रक्षा निर्यात संवर्धन की योजना को सूचित किया गया है और उत्पाद की आरंभिक वैद्यता और इसके उत्तरवर्ती फील्ड परीक्षणों के लिए रक्षा मंत्रालय की परीक्षण

अवसंरचना तक पहुंच प्रदान की जाती है । भावी निर्यातक द्वारा अपने उत्पादों की वैश्विक बाजार में उचित रूप से मार्केटिंग के लिए प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है ।

(xvi) विभिन्न देशों से प्राप्त होने वाले प्रश्नों और निर्यात संवर्धन के लिए निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों को सुविधा प्रदान करने सहित निर्यात संबंधी कार्रवाई के लिए समन्वय करने एवं अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए रक्षा उत्पादन विभाग में एक पृथक प्रकोष्ठ बनाया गया है ।

(xvii) सार्वजनिक एवं निजी दोनों ही क्षेत्रों के भारत में विनिर्मित रक्षा उत्पादों के निर्यात को संबंधित देशों में बढ़ावा देने के लिए कार्रवाई करने हेतु रक्षा अताशे को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना को अधिसूचित किया गया है ।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 20 नवम्बर, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 495 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

**घरेलू रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने हेतु किए गए उपाय**

- (i) मई, 2001 में रक्षा उद्योग क्षेत्र को, जो अब तक केवल सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित था, 26 % तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के साथ 100 % भारतीय निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोल दिया गया है। इसके अलावा, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने प्रेस नोट सं. 5 (2016 श्रृंखला के तहत ऑटोमेटिक रूट के अन्तर्गत 49% तक और जहां कहीं इसके परिणामस्वरूप आधुनिक प्रौद्योगिकी तक पहुंच की संभावना हो अथवा रिकार्ड किए जाने वाले अन्य कारणों के लिए सरकारी रूट के जरीए 49 % से अधिक की एफडीआई की अनुमति दी गई है।
- (ii) आई(डी एण्ड आर) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत औद्योगिक लाइसेंसों की प्रारंभिक वैद्यता में संशोधन करके इसे 15 वर्ष कर दिया गया है जो दिनांक 22.09.2015 के प्रेस नोट 10(2015 श्रृंखला) के तहत मौजूदा एवं भावी लाइसेंस के लिए 18 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा, शस्त्र अधिनियम 1959/शस्त्र नियम 2016 के अधीन प्रदत्त लाइसेंस प्राप्त करने वाली कम्पनी के लिए आजीवन तक वैद्य होगा बशर्ते कि लाइसेंस प्राप्तकर्ता को सुविधा स्थापित करना और लाइसेंस प्रदान की जाने की तारीख से सात वर्षों की अवधि के अन्दर अन्य शर्तें पूरा करना अपेक्षित होगा।
- (iii) रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में उदारीकरण के लिए रक्षा उत्पाद सूची की समीक्षा करने के लिए रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा की गई पहल के आधार पर रक्षा उत्पाद सूची को तर्कसंगत एवं संक्षिप्त बनाया गया है।
- (iv) सरकार रक्षा मर्दों का व्यापक श्रेणी में विनिर्माण करने के लिए भारतीय कम्पनियों को अब तक 452 लाइसेंस जारी कर चुकी है। इसके अलावा, सार्वजनिक एवं निजी दोनों ही क्षेत्रों में विभिन्न रक्षा उपस्करों के विनिर्माण के लिए 42 एफडीआई प्रस्तावों/ संयुक्त उद्यमों को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

\*\*\*\*\*

